21,538

संख्याः /सात लाई०एस०–42/ व्यव०/2023–24/सा०निर्देश/विज्ञप्ति

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

25

देहरादून, दिनांकः मार्च, ,2023

विषयः– वर्ष 2023–24 (दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक) की अवधि हेतु सी०एल०–5सी (देशी शराब व बीयर) एवं एफ०एल०–5डी (विदेशी मदिरा व बीयर) की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में सामान्य निर्देश।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023 जो कि शासन की अधिसूचना संख्याः 220/XXIII-1/2023/04(03)/2023 देहरादूनः दिनांकः 22, मार्च, 2023 के अनुसार राज्य में मदिरा की फुटकर दुकानों (सी०एल०–5सी (देशी शराब व बीयर) एवं एफ०एल०–5डी (विदेशी मदिरा व बीयर) का व्यवस्थापन वित्तीय वर्ष 2023–24 (दिनांक 01.04.2023–31.03.2024 तक) हेतु नवीनीकरण एवं लॉटरी के माध्यम से किया जाना है। व्यवस्थापन के सम्बन्ध में निम्नानुसार सामान्य निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023 जो कि शासन की अधिसूचना संख्याः 220/XXIII-1/2023/04(03)/2023 देहरादूनः दिनांकः 22, मार्च, 2023 के द्वारा प्रख्यापित की गयी है में दी गयी व्यवस्था के आधार पर मदिरा की फुटकर दुकानों का राजस्व निर्धारित किया जाना है। जिलाधिकारी द्वारा अनमोदित निर्धारित राजस्व के आधार पर लाईसेन्स फीस एवं न्यूनतम गारण्टीड अभिकर की राशि का निर्धारण विहित प्रक्रिया के अनुरूप किया जाये। राजस्व निर्धारण में पर्याप्त सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है। जिला आबकारी अधिकारी प्रत्येक दुकान के अनुज्ञापन शुल्क, न्यूनतम गारण्टीड अभिकर का निर्धारण कर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
2. आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023 के नियम–3.1 के अनुसार देशी/विदेशी मदिरा का नवीनीकरण निर्धारित शर्तो के अधीन नवीनीकरण किया जायेगा।
3. नवीनीकरण के पश्चात् निर्धारित कार्यक्रमानुसार दुकानों का व्यवस्थापन लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।
4. लॉटरी किये जाने हेतु मदिरा दुकानों का राजस्व कुल राजस्व हेतु निर्धारित राजस्व में से नवीनीकरण से प्राप्त राजस्व को घटाकर अवशेष राजस्व में दुकान की क्षमता के आधार पर बांटकर निर्धारित किया जायेगा।
5. उपरोक्तानुसार जनपद की सी0एल0–5सी (देशी शराब व बीयर) एवं एफ0एल0–5डी (विदेशी मदिरा व बीयर) की दुकानवार निर्धारित लाईसेंस फीस एवं न्यूनतम गारन्टीड अभिकर (जो भी लागू हो) की सूची शासन की वेबसाईट–**www.uk.gov.in** एवं **www.uttrakhandexcise.org.in** जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय तथा कलैक्ट्रेट, तहसील एव उप–तहसील, विकासखण्ड तथा नगर पालिका कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर

CamScanner

सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु लगायी जायेगी। उक्त मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार करना भी सुनिश्चित करेंगे।

6. मदिरा दुकान के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों को एक पंजिका में पंजीकृत किया जायेगा। पंजिका के पंजीयन संख्या को आवेदन पत्र की रसीद में अंकित करके आवेदक को यह रसीद उपलब्ध करा दी जायेगी तथा इन मूल रसीदों को पहचान पत्र मानकर आवेदक को लाटरी के लिये निर्धारित हाल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्राप्त आवेदनों की कम्प्यूटर में भी प्रविष्टि की जायेगी।
7. जिला आबकारी अधिकारी प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की सूचना तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण किया जायेगा। यदि आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से वांछनीय कोई अभिलेख आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो जिलाधिकारी द्वारा विवेक सम्मत निर्णय लेते हुए ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
8. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आवंटन समिति का गठन उत्तराखण्ड आबकारी विदेशी मदिरा एवं बियॅर की फुटकर दुकान व्यवस्थापन नियमावली के नियम–9 तथा देशी शराब की नियमावली के नियम–10 की निम्न व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा:–

District level committee for licensing

There shall be a district level committee for selection of licensees for retail sale of Foreign Liquor & Beer/Country Liquor. The committee shall consist of the following member, namely:-

1. The Collector of the District	**Chairman**
2. One Gazetted Officer nominated by the Excise Commissioner	**Member**
3. The District Excise Officer of the District	**Member/Secretary**

इस कमेटी में जिला आबकारी अधिकारी एवं एक अन्य वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी, जो जनपद में नियुक्त किसी डिप्टी क्लेक्टर से अनिम्न अधिकारी के नाम का प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित आबकारी आयुक्त को ई–मेल आई0डी0 **utk.hqexcise.lic@gmail.com** प्रेषित करेंगे, ताकि नियमानुसार आबकारी आयुक्त द्वारा द्वितीय सदस्य की नियुक्ति की जा सके। उपरोक्तानुसार गठित समिति प्राप्त आवेदन पत्रों का समुचित परीक्षण एवं दुकानों के नियमानुसार व्यवस्थापन के लिये उत्तरदायी होगी।

9. व्यवस्थापन के समय जिलाधिकारी स्वयं उपस्थित रहेंगे व व्यवस्थापन हेतु गठित समिति के अन्य सभी सदस्य भी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।
10. समिति के गठन की सूचना को व्यवस्थापन स्थल के अतिरिक्त जनपद के सभी जिला व तहसील कार्यालयों पर लगे सूचना पट्टों पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।
11. व्यवस्थापन के समय प्रेस के प्रतिनिधियों को भी आंमत्रित किया जायेगा तथा व्यवस्थापन स्थल पर उनके बैठनें हेतु समुचित व्यवस्था की जायेगी।

CamScanner

12. यदि किसी दुकान के लिये निर्धारित राजस्व पर एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो दुकान के आवंटन के लिये सार्वजनिक लाटरी से अनुज्ञापी का चयन किया जायेगा।

13. लाटरी के लिये जिला मुख्यालय पर किसी बडे हाल की व्यवस्था की जाय। लाटरी हेतु प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की दुकानवार सूचियां,सम्बन्धित दुकान को आवंटित कमांक, प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या व आवेदकों के नाम आदि की जानकारी निष्पादन स्थल के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय तथा उन्हें सार्वजनिक रूप से माईक पर उद्घोषित भी किया जाय। लाटरी निकाले जाने सम्बन्धी कार्यवाही सभागार में कुछ ऊचाई पर मंच बनाकर इस प्रकार सम्पादित की जाय कि सभी उपस्थित व्यक्ति लाटरी की कार्यवाही को भलीभांति देख सकें, जिससे लाटरी की कार्यवाही में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे। सम्पूर्ण लाटरी प्रक्रिया की वीडियो ग्राफी करायी जाये एवं लाटरी स्थल पर प्रोजेक्टर की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें लाटरी की प्रकिया को प्रोजेक्टर के माध्यम से स्कीन पर प्रदर्शित किया जायेगा।

14. उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023 के नियम–3.4 के अनुसार एक आवेदक/सह आवेदक को राज्य में अधिकतम दो मदिरा की दुकानें ही आवंटित की जा सकती है। अतः लॉटरी हेतु पात्र आवेदकों का इस आधार पर निर्धारण लाटरी से पूर्व कर लिया जाय अर्थात् किसी आवेदक/सह आवेदक को वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु नवीनीकृत/आवंटित दुकानों को जोड़ते हुए अधिकतम मात्र दो ही मदिरा की दुकानें आवंटित हो सकती है। दो मदिरा दुकान आवंटन के उपरान्त अगले चरण में आवेदक/सह आवेदक का नाम सम्मिलित नहीं होगा।

15. लॉटरी द्वारा किसी मदिरा दुकान का आवंटन होते ही पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत प्रविष्टी विभागीय वैब साईट **www.uttrakhandexcise.org.in** पर की जाये, जिससे किसी भी आवेदक/सह आवेदक को अधिकतम दो मदिरा की दुकानें ही आवंटित हो सकें।

16. जिन देशी/विदेशी मदिरा/बियर की दुकानों पर केवल एक ही आवेदन प्राप्त हुआ है, उनका आवंटन लाटरी प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व कर दिया जायेगा। दुकान की लाटरी पहले विदेशी मदिरा से आरम्भ होगी। सबसे पहले अधिकतम वार्षिक राजस्व वाली दुकान के लिये लाटरी निकाली जायेगी और उसके बाद राजस्व के अवरोही क्रम (Descending Order) में यह प्रकिया जारी रखी जायेगी। विदेशी मदिरा की दुकानों के लिये लाटरी सम्पन्न होने के बाद देशी मदिरा की दुकानों के लिये लाटरी आरम्भ की जायेगी और इसमें भी अधिकतम राजस्व वाली दुकानों से आरम्भ कर अवरोही कम में दुकानों की लाटरी निकाली जायेगी। विदेशी मदिरा, देशी मदिरा दुकानों की लाटरी प्रक्रिया सम्पन्न होने के बाद बियर की दुकानों का आवंटन लाटरी प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा।

17. लाटरी निकाले जाने के लिये जिला आबकारी अधिकारी द्वारा **6 से0 मी0 × 6 से0 मी0** की एक ही तरह की कागज की पर्चियां कम्पयूटर से छपवाकर तैयार की जायेगी, जिनका प्रारूप निम्नानुसार होगा:–

मदिरा दुकान का नाम .....

मदिरा दुकान का प्रकार.....

आवेदन पत्र की पंजीयन संख्या.....
आवेदक का नाम.....
जि0आ0अधि0 ना0 अधि0 जिलाधिकारी

18. पर्ची पर जिलाधिकारी के हस्ताक्षर स्कैन करके प्रिन्ट किये जा सकते हैं, किन्तु अन्य अधिकारी अनिवार्य रूप से प्रत्येक पर्ची पर हस्ताक्षर करेंगे।
19. जिलाधिकारी किसी एक दुकान के लिये सभी आवेदकों की पर्चियों के लिखे भाग को अन्दर की ओर रखते हुए समान रूप से अलग–अलग मोड़ कर किसी पारदर्शी पात्र में भली–भांति मिलाकर एक पर्ची पंडाल में उपस्थित व्यक्तियों में से रैन्डम आधार पर किसी एक व्यक्ति से निकलवायेंगे। यह पर्ची सार्वजनिक रूप से खोलकर सभी उपस्थित व्यक्तियों को दिखायी जाएगी और पर्ची पर आवेदक के नाम की उद्घोषणा भी पर्ची निकालने वाले व्यक्ति से ही माइक पर करायी जायेगी। लाटरी निकल जाने के बाद पर्ची के पीछे दुकानों के व्यवस्थापन हेतु गठित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे व जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय की गोल मोहर लगायी जायेगी। लाटरी के पूरा हो जाने के उपरान्त सभी पर्चियां, जिन पर दुकानें व्यवस्थापित की गयी होंगी, एक लिफाफे में बन्द करके सील कर दी जायेगी, जिसके ऊपर चयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।
20. दुकान आवंटित हो जाने की दशा में चयनित आवेदक को देय राजस्व उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023 में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार समयान्तर्गत् जमा करना होगा। प्राप्त राजस्व (बैंक ड्राफ्ट/नकद के रूप में) को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा ट्रेजरी चालान के माध्यम से सरकारी खजाने में जमा करने हेतु कार्यवाही की जायेगी।
21. यदि चयनित आवदेक नियमों में दी गयी व्यवस्थानुसार धनराशि निर्धारित समयान्तर्गत जमा नहीं करता/निर्धारित औपचारिकताएँ पूर्ण नहीं करता अथवा दुकान के लिये उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में असफल रहता है तो उसका चयन निरस्त समझा जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि राज्य के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा लाईसेंसिंग प्राधिकारी, आवंटित अनुज्ञापी के जोखिम पर निरस्त कर दुकान के पुर्नव्यवस्थापन की कार्यवाही नियमों में दी गयी व्यवस्थानुसार करेंगे।
22. दुकान व्यवस्थापन की समस्त कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण करा ली जाय ताकि दुकानों का संचालन दिनांकः 01.04.2023 से प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जा सके। दुकानवार व्यवस्थापन के दौरान पारदर्शिता की दृष्टि से दुकान विशेष के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण, अनुज्ञापन स्वीकृति तथा लाटरी की दशा में आवेदकों के नाम/संख्या जिनके मध्य लाटरी की जा रही है, यदि सूचनाएँ मौके पर ध्वनि विस्तारक यन्त्र के माध्यम से उद्घोषित की जायें और प्रत्येक अगली दुकान के सम्बन्ध में औपचारिकतायें पूर्ण करने से पूर्व पिछली कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाने वाली समस्त जिज्ञासाओं का अवश्य समाधान कर दिया जाये।
23. आवेदक को यह स्पष्ट कर दिया जाये कि उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अथवा शपथ पत्र में उल्लिखित कोई भी तथ्य अथवा सूचना असत्य पाये जाने पर उसका

CamScanner

प्रार्थना पत्र निरस्त किया जा सकता है व धरोहर धनराशि राज्य के पक्ष में जब्त की जा सकती है।

24. अपने जनपद के बकायादारों की सूची बना ली जाये। अन्य जनपदों से प्राप्त आबकारी राजस्व के बकायेदारों की सूची अलग से प्रेषित की जा रही है। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी बकायेदार को अनुज्ञापन न दिया जाय।

25. दुकानों के व्यवस्थापन के उपरान्त व्यवस्थापित तथा अव्यवस्थापित दुकानों का विवरण प्रत्येक चरण की समाप्ति के पश्चात निर्धारित प्रारूप में आबकारी मुख्यालय भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय तथा व्यवस्थापन की प्रकिया में विवर्जित **(Black List)** किये गये व्यक्तियों का विवरण भी निर्धारित प्रारूप में भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

26. उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार मदिरा दुकानों के सफल आवंटी को दुकान आवंटन होने के निर्धारित अवधि के भीतर समस्त औपचारिकताएँ आवश्यक रूप से प्रस्तुत/पूर्ण करनी होगी। ऐसा न करने की दशा में सम्बन्धित आवंटी के जोखिम पर दुकान निरस्त कर दी जायेगी।

27. आवेदन पत्र के साथ संलग्न धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट को जनपद में लाटरी समाप्त होने के उपरान्त असफल आवेदकों को वापस किये जाने हेतु निम्न प्रकिया अपनाई जायेगीः–

आवेदन कर्ता स्वंय कार्यालय में उपस्थित होकर मूल प्राप्ति रसीद प्रस्तुत कर बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर सकतें है।

अथवा

आवेदक के किन्हीं कारणों से उपस्थित न होने की दशा में उनके द्वारा विधिवत् निर्गत प्राधिकार पत्र के साथ मूल रसीद प्रस्तुत करने पर नामित व्यक्ति धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर सकेंगे। प्राधिकार पत्र पर आवेदक एवं उसके प्रतिनिधि का पासपोर्ट साईज में रंगीन फोटो चस्पा करके उसके द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक होगा।

28. दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, गांधी रोड़, तहसील चौक, देहरादून से यथावश्यक निर्देश/सूचनायें/जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। सम्पर्क अधिकारी कुमायूँ मण्डल हेतु श्री ए०आर० सेमवाल, अपर आबकारी आयुक्त दूरभाष संख्याः 7579098405 एवं गढ़वाल मण्डल हेतु श्री पी०एस० गर्ब्याल, अपर आबकारी आयुक्त, दूरभाष संख्याः 7579098403 तथा श्री बी०एस० चौहान, संयुक्त आबकारी आयुक्त दूरभाष संख्याः 9760150000 रहेंगे।

अतः अनुरोध है कि शासन की आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023 (दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक) को सफल बनाने हेतु अपने नेतृत्व में सी0एल0–5सी (देशी शराब व बीयर) तथा एफ0एल0–5 डी (विदेशी मदिरा व बियर) की दुकानों का व्यवस्थापन सफलतापूर्वक निर्धारित समय के अन्तर्गत सम्पादित कराने का कष्ट करें।

(हरिचन्द्र सेमवाल)
आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड।

CamScanner

21539-42

संख्याः /सात लाई०एस०–42/ व्यव०/2023–24/सा०निर्देश/विज्ञप्ति देहरादून, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर/संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
3. अपर आबकारी आयुक्त, आई0टी0 अनुभाग, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय बेबसाईट **www.uttarakhandexcise.org.in** पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(हरिचन्द्र सेमवाल)
आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड।

CamScanner